विज्ञप्ति संख्या–15/2015

कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार कक्षा 06 से कक्षा 08 के लिये आयोजित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी विज्ञप्ति संख्या 09/2015 के द्वारा जिले के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (विज्ञान, कला, भाषा (गैर उर्दू) एवं भाषा (उर्दू) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में दिनांक 05.08.2015 तक स्पीड–पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में विभिन्न कोटि के शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि कम्प्यूटर में करते हुये डाटाबेस NIC Dhanbad के वेबसाइट पर **(www.dhanbad.nic.in)** पर अपलोड कराते हुये दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन कर संबंधित अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ एवं उनसे आपत्ति आमंत्रण हेतु प्रकाशित किया गया था।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आपत्तियों का निराकरण के पश्चात् प्रथम औपबंधिक मेधा सूची प्रारूप तैयार कर पुनः NIC धनबाद के वेबसाइट **(www.dhanbad.nic.in)** पर अपलोड कराते हुये दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति तिथि तक प्राप्त सभी आपत्तियों का गुण–दोष के आधार पर निराकरण के साथ जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा द्वितीय औपबंधिक मेधा सूची का अनुमोदन किया गया है।

सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 2273 दिनांक 22.09.2015 के आलोक में द्वितीय औपबंधिक मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थियों का दिनांक 01.10.2015 को कांउसिलिंग हेतु तिथि का निर्धारण किया गया है परन्तु अपरिहार्य कारण कांउसिलिंग की तिथि दिनांक 05.10.2015 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। कांउसिलिंग कार्य बी0एस0एस0 बालिका उच्च विद्यालय, धनबाद में सम्पन्न कराया जायेगा। औपबंधिक मेधा सूची में अंकित जिन अभ्यर्थियों के नाम के सामने **"APPEARED"** अंकित है उन्हें कांउसिलिंग में भाग लेने की जरूरत नहीं है। आपत्ति एवं कांउसिलिंग के क्रम में प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रथम औपबंधिक मेधा सूची के समीक्षोपरांत द्वितीय औपबंधिक मेधा सूची जारी की जा रही है। पूर्व के कांउसिलिंग में जिन अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और उनका नाम द्वितीय औपबंधिक मेधा सूची में नहीं है वैसे सभी संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित होकर अपना मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें अथवा अपने अभ्यर्थित्व के दावे के समर्थन में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। संबंधित अभ्यर्थियों की सूची भी NIC मे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

कांउसिलिंग के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को निम्न कागजातों के साथ इस हेतू गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है–

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के पठनीय अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्रों के साथ।
2. झारखण्ड टेट प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
3. आरक्षण का दावा हेतु सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी या उससे ऊपर के पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (नियोजन हेतु) एवं जाति प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ। उक्त दोनों प्रमाण–पत्र अद्यतन एवं विहित–प्रपत्र में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
4. पासपोर्ट साईज का दो रंगीन फोटोग्राफ।
5. विकलांग कोटि में चयनित अभ्यर्थी को विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
6. चयनित अभ्यर्थी यदि पारा शिक्षक है तो उन्हें प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
7. कांउसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का स्वःघोषणा पत्र देना आवश्यक होगा कि वे किसी दूसरे जिले में शिक्षक पद पर कार्यरत् नहीं है। यदि कार्यरत् है तो इस जिले में आवेदन पत्र देने के पूर्व संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक से अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं?
8. 22सें0मी0 x 10सें0मी0 का एक स्टेन्डर्ड साईज लिफाफा जिसपर 27/–रूपये का स्टाम्प टिकट सटा हुआ हो तथा जिसपर अभ्यर्थी का पत्राचार का पता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो, ताकि पत्र प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो।

सभी कागजात प्लास्टिक बन्द कभर फाईल में रखा होगा। फोल्डर के ऊपर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं मेधा क्रमांक/कोटि अंकित होगा।

कांउसिलिंग में सम्मिलित होने हेतू अलग से कोई पत्र नहीं दिया जायेगा तथा निर्धारित तिथि को कांउसिलिंग से अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का चयन रद्द करते हुये उसके विरूद्ध दूसरे अभ्यर्थी का चयन कर लिया जायेगा।

29/9/15

जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

उपायुक्त, धनबाद।

29.9.15

क्रं0 संख्या

प्रथम
औपबंधिक
मेधा सूची
का क्रमांक

फार्म संख्या अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम जन्म तिथि

विषय जिसके
कांउसिलिंग में
श् ाामिल हुये थे।

मेधा सूची से बाहर होने का कारण

1 ठब्.7 ;भ्ब्द्ध 1709 उत्तम कुमार

धाटी

स्वः गोलक
बिहारी धण्टी 8/4/1970 भाषा (पारा)

डाटाबेस के फार्म संख्या 5399 पर
अंकित विकास कमार का नाम अंकित
जो वास्तव में पारा श्रेणी के उम्मीदवार
है लेकिन गलती से गैर पारा में इनकी
प्रविष्टि हो गई थी। संशोधन करने
उपरांन्त पारा श्रेणी में इनका मेधा अंक
उत्तम कुमार से अंधिक है जिसके
कारण मेधा सूची से इन्हें बाहर होना
पड़ा।

2 ैब्.7 5070 कमला चौधरी दिलीप महथा 11/1/1980 पारा कला में अधिक मेधा अंक के अभ्यर्थी उपलब्ध

रहने के कारण इन्हें बाहर जाना पड़ा।

3 ैब्.2 7254 श्वेता जलज दशरथ राम 12/1/1989 गैर पारा कला में

स्नातक कला के लिये इनके द्वारा
आवेदन किया गया था तथा भुलवश
इनका चयन कला में किया गया था।
समीक्षापरांत पाया गया कि स्नातक
स्तर पर समाज विज्ञान का विषय नहीं
है।

4 UR-19
(WID..)

2474 श्वेता शिवा अशोक कुमार
गुप्ता 10/30/1979 गैर पारा विज्ञान में

राज्य के महिला निवासी नहीं रहने के
कारण मेधा सूची से बाहर किया गया
है।

5 ठब्.7 ;भ्ब्द्ध 1246 शम्भु शरण

प्रसाद रामेश्वर प्रसाद 3/1/1983 गैर पारा भाषा में

डाटाबेस में श्री अब्दुल गफ्फार अंसारी
की विकलांगता टंकण भुलवश अंकित
नहीं किया जा सका था समीक्षोपरांत
यह विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी है
जिनके कारण श्री शम्भु शरण प्रसाद
को मधो सूची से बाहर जाना पड़ा।

6 न्त्.19 4091 खालिद तनवीर गुलामउद्दीन 1/5/1985 भाषा गैर पारा

अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन उर्दू भाषा
पद के लिये किया गया था लेकिन
टंकण भुल के कारण डाटाबेस में
इनकी प्रविष्टि भाषा में हो गई थी।
उर्दू सहायक शिक्षक के रूप में टेट
उत्तीण का प्रमाण-पत्र इनके पास है
जो भाषा के लिये अनुमान्य नहीं है
और उर्दू भाषा में इनसे अधिक मेधा
अंक के अभ्यर्थी अभ्यर्थी उपलब्ध है।
इन्होंने अपना टेट प्रमाण-पत्र भी
कार्यालय से वापस ले लिया है।

7 UR-27
(WID..)

12863 तम्मना आसमीन स्वः शमसुद्दीन
अहमद

9/21/1987 भाषा गैर पारा

अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन उर्दू भाषा
पद के लिये किया गया था लेकिन
टंकण भुल के कारण डाटाबेस में
इनकी प्रविष्टि भाषा में हो गई थी।
उर्दू सहायक शिक्षक के रूप में टेट
उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र इनके पास है
जो भाषा के लिये अनुमान्य नहीं है
और उर्दू भाषा में इनसे अधिक मेधा
अंक के अभ्यर्थी अभ्यर्थी उपलब्ध है।

वैसे अभ्यर्थियों का विवरण जिनका प्रथम औपबंधिक मेधा सूची में नाम था और दिनांक 14.09.2015/23.09.2015 को आयोजित कांउसिलिंग में भाग लिये थे का नाम द्वितीय औपबंधिक मेधा सूची से नाम के सामने अंकित कारण से बाहर किया गया है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

8 डठब्.5 8073 मो0 शफीउल्लाह अब्दुल कादीर 12/13/1984 भाषा गैर पारा

अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन उर्दू भाषा
पद के लिये किया गया था लेकिन
टंकण भुल के कारण डाटाबेस में
इनकी प्रविष्टि भाषा में हो गई थी।
उर्दू सहायक शिक्षक के रूप में टेट
उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र इनके पास है
जो भाषा के लिये अनुमान्य नहीं है
और उर्दू भाषा में इनसे अधिक मेधा
अंक के अभ्यर्थी अभ्यर्थी उपलब्ध है।

9 डठब्.4 4527 मो0 मोईउद्दीन मो0 जलाउद्दीन 2/7/1986 भाषा गैर पारा

अभ्यर्थी के द्वारा भाषा पद के लिये
आवेदन दिया गया था। उर्दू सहायक
शिक्षक के रूप में टेट उर्त्तीण है जो
भाषा के लिये अनुमान्य नहीं है लेकिन
लिपिकीय भुल के कारण इनका चयन
भाषा में हो गया था।

10 न्त्.10 2295 फरहा नाज ताकीर अहमद 1/18/1986 कला गैर पारा में

आवेदन

अभ्यर्थी के द्वारा कला पद के लिये
आवेदन दिया गया था तथा टेट पास
विज्ञान/गणित में है जो कला के
लिये अनुमान्य नहीं है। लिपिकीय भुल
के कारण इनका चयन कला में हो
गया था।

11 डठब्.3 2808 आदिल हुसैन मो0 एनुल हक़ 11/16/1985 भाषा गैर पारा

अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन भाषा पद के
लिये किया गया था तथा भाषा में
इनका चयन भी किया गया था। टेट
पास उर्दू सहायक शिक्षक के लिये है
जो भाषा के लिये अनुमान्य नहीं है।
इन्होंने अपना टेट प्रमाण-पत्र भी
कार्यालय से वापस ले लिया है।

12 ठब्.4 ;भ्ब्द्ध 1286 महेन्द्र वर्मा नेपाली वर्मा 1/15/1975 पारा कला में

अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन कला पद के
लिये किया गय था लेकिन ये टेट
व्ज्भ्म्त्ै से उत्तीर्ण है। जो कला के
मान्य नहीं है। भुलवश इनका चयन
कला में हो गया था। इनके द्वारा टेट
का प्रमाण-पत्र वापस ले लिया गया
था।